

08/9/20

वकील उभयपक्ष (उपस्थित) पत्रावली का अवलोकन
किया। प्राथमिक ने भद्र मुक्तकिली प्राथमिक पत्र और
जगदीश आर्य SDO पहाड़ी के विरुद्ध पेश किया
है। जोकि नत्कालीन पीठासीन अधिकारी जगदीश
आर्य SDO का कन्पत्र स्थानान्तरण हो चुका है (ऐसे)
स्थिति में प्राथमिक का भद्र मुक्तकिली प्राथमिक पत्र
प्रभावहीन होने (Infructuous) से इसी stage
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के उक्त
शुद्ध होकर बाद तकमील दा.प. हो।

जिला मजिस्ट्रेट
भद्र मुक्तकिली